सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 03, बुधवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 25, 2023 *Kartika 03, Wednesday , Saka 1945- October 25, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 05, 2023

(अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड भवानीमण्डी

संख्या 4841706 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27/01/2017 के निर्देशानुसार पीरावा-कोटरी-आवर-पगरीया-गुराडीया खुर्द चांद खेडी एम.डी.आर-221 पर किमी 20/045/ से 20/300 पर ओवर ब्रिज निर्माण किये जाने प्रयोजन से जिला झालावाड की तहसील पचपहाड में निम्नानुसार प्रभावित गाँवं में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	झालावाड	पचपहाड	**आवर**
2	झालावाड	पचपहाड	**पगारीया**

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास समिति नया रलावता, पोस्ट-गरूडवासी तह. चाकसु जिला -जयपुर (राजस्थान) 303901श् एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझाओं/आपत्तियों को समुचित समाधान को षामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बिन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. पी.पी.पी. माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2)(a)(ii) के प्रावधानानुसार प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी।
6. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्ण /सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

अधिषाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड भवानी मण्डी(राजस्थान)

फोन नं.

समाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

सामाजिक आर्थिक विकास समिति

1. श्री रामकृष्ण मीना (परियोजना निदेशक)

सर्म्पक न.-09829274259

कार्यालय- प्लाट न. 11, **वार्ड न.** 19, **कृषि मण्डी के सामने चाकसु** 303901 **जिला जयपुर (राजस्थान)**

ई–मेल savscks@gmail.com

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि. विभाग राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।